

3/4/19

31/9/22

पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त पत्र  
कॉर्ट को देकर 9 दिनों के लिए पत्रावली  
लेखा 16/2019 अनवानी मूलचन्द  
वसन्त लाल सिंह काफ़ी में पत्रावली दिनांक  
दिनांक 01/03/22 के साथ इस पत्रावली  
को पुनः ग्राहक पत्र लिखे जाने के  
बाद पत्रावली दिनांक 25/5/2022 को  
पेश हुई।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

25/5/22

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली  
के अतिरिक्त ग्राहक के गेटेड अफ़ामा,  
पत्रावली दिनांक 17/6/2022 को  
पेश हुई।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

7/6/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी  
स्वयं उपन। ग्राहक/वादी ने जरिये  
Adv. भावेदन पत्र पेश कर निवेदन किया  
कि अनवानी प्रकरण में प्रसंगिक के मध्य  
लौड भदालत की भावना से राजीनामा हो  
गया है इसलिए प्रकरण को आगे नहीं  
चलाना चाहते। वादी मूलचन्द के अतिरिक्त  
रजिस्ट्रार पर धस्तामर डखाये गये जिसकी  
पहचान Adv. श्री शोपाल सिंह बिजारगिया  
ने की तथा धस्तामर डिये। अतः वादी स्वयं  
वकील वादी के अनुरोध पर धवा नोटबस  
में जारी किया जाता है। पत्रावली कुंमल  
सुमार होकर बाढ़ शरवादी काबिल एफ़ामा को  
निर्णय सुनाया गया।

Noted same  
[Signature]

मूलचन्द  
पट्टियाण वरी  
[Signature]  
17.6.22

उपरोक्त  
दिनांक 28/5/19

लकटर  
कर

पत्रावली